न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2021 (रसद) (GCMS 2021/220)	21.06.2021	14.09.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. विकास कुमावत पुत्र पृथ्वीराज कुमावत निवासी रानीखेड़ा, निम्बाहेड़ा मोबाईल नंबर 9549970153
2. अनिल कुमावत पुत्र नाथुलाल कुमावत निवासी रानीखेड़ा, निम्बाहेड़ा

विपक्षीगण

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
ईनायत अली — अधिवक्ता विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि पुलिस थानाधिकारी भदेसर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 31.05.2021 को जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा ने निर्देश दिये कि पुलिस थाना कोतवाली, निम्बाहेड़ा से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई है कि थाने में पेट्रोलियम पदार्थ डिटेन किया हुआ है। इस पर आवेदक हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी निम्बाहेड़ा हमराह मंजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी के साथ सरकारी वाहन संख्या **RJ09 TA 2419** चालक देवीलाल गाडरी के साथ पुलिस थाना कोतवाली, निम्बाहेड़ा पंहुचे। थाना कोतवाली पंहुच कर थानाधिकारी से सम्पर्क करने पर थानाधिकारी में एएसआई प्रहलाद सिंह को घटना की जानकारी देने हेतु कहा गया। प्रहलाद सिंह एएसआसई द्वारा एक तहरीर दी गई तथा थाना परिसर में डिटेन की गई महिन्द्रा पिकअप **RJ06 GA 8628** का निरीक्षण कराया। मौके पर प्रहलाद सिंह एएसआई ने चालक विकास कुमावत एवं गवाहो के समक्ष महिन्द्रा पिकअप में बने लोहे के टैंक एवं टैंक से डिस्पेसिंग यूनिट व एक नोजल जुडा हुआ है इसका मापन किया गया। मापन करने पर इसमें 1524 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया। विकास कुमावत पुत्र पृथ्वीराज कुमावत निवासी रानीखेड़ा, निम्बाहेड़ा से पूछताछ कर बयान लिए गए। विकास कुमावत ने अपने बयान में बताया कि महिन्द्रा पिकअप **RJ06 GA 8628** मेरा निजी वाहन हैं। इसमे मैंने पीछे लोहे का टैंक बना रखा है तथा इसमे छोटा डिस्पेसिंग यूनिट, एक नोजल व इलेक्ट्रीक मीटर लगा रखा है। उक्त गाड़ी को मेरे ताउजी का पुत्र अनिल

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पुत्र नाथूलाल कुमावत, निवासी रानीखेड़ा होटल से भर कर लाता है तथा मुझे गाड़ी उक्त पेट्रोलियम पदार्थ डीजल/बायोडीजल के नाम से बेचान कार्य करवाता है। लाभांश हम दोनो बांट लेते जो है। पेट्रोलियम पदार्थ 71 रूपये प्रति लीटर के भाव से बेच देते है। विकास कुमावत के बयान अभिसंलग्न है। विकास कुमावत से मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, विक्रय, क्रय, परिवहन के आवश्यक दस्तावेज मांगने पर ऐसे किसी दस्तावेज होने से इन्कार कर दिया। बिना दस्तावेज के अवैध, अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ भिन्न–भिन्न नामों से बेचने के कारण महिन्द्रा पिकअप **RJ06 GA 8628** मय 1524 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 5 लीटर का मापक अभिग्रहित किया गया तथा मौके पर ही थाना कोतवाली, निम्बाहेड़ा के मालखाना इन्चार्ज मुस्ताफ बैल्ट नंबर 57 की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द अभिग्रहण मय सुपुर्दगी नामा संलग्न है। मौके पर अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ 1524 लीटर में से नमूने लिए गए। तीन नमूने क्रमशः **A-1, A-2, A-3** एल्यूमिनियम कन्टेनरो में लिये गये। नमूना **A-1** को प्लास्टिक सील नंबर 4047146 से वुडन बॉक्स पर सील किया, **A-2** को प्लास्टिक सील नंबर 4047128 व **A-3** को प्लास्टिक सील नंबर 4047119 से सील किया गया। नमूना **A-1** वास्ते जाँच थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दिया गया, जबकि **A-2, A-3** वास्ते सबूत एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑफिस में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिया गया। फर्द नमूना संलग्न है। विकास पुत्र पृथ्वीराज कुमावत निवासी रानीखेड़ा, निम्बाहेड़ा एवं अनिल पुत्र नाथूलाल कुमावत निवासी रानीखेड़ा एवं पेट्रोलियम पदार्थ को भरने वाले होटल मालिक व संचालक का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं 8 तथा पेट्रोलियम प्रोटेक्ट **MS&HSD** आदेश 2005 की धारा 2, 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः दोषियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा 267/2021 दर्ज करवाई गई। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में अभिग्रहित महिन्द्रा पिकअप **RJ06 GA 8628** तथा उसमे बने हुए लोहे के टैंक में भरे हुए 1524 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ तथा 5 लीटर का मापक राजसात कराने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता ईनायत अली हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 14.09.2021 को विपक्षी की और से जवाब पेश कर आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी विकास कुमावत के वाहन महिन्द्रा पिकअप संख्या **RJ06 GA 8628** एवं लोहे के टैंक एवं डिस्पेन्सर यूनिट से कोई पेट्रोलियम पदार्थ बरामद नहीं हुए है। ना ही विपक्षी विकास कुमावत के कोई बयान आदि लिए गए। परिवादी ने झूठा मुकदमा बनाया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/परिवादी का परिवाद निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का वाहन आदि जमानत परि रिहा फरमाया जावे। विपक्षी की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 14.09.2021 को उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी के वाहनएवं लोहे के टैंक एवं डिस्पेन्सर यूनिट से कोई पेट्रोलियम पदार्थ बरामद नहीं हुए है। ना ही विपक्षी के कोई बयान आदि लिए गए। विपक्षीगण को उक्त प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। उक्त प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है यदि जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया। एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 1524 पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 31.05.2021 को जब्तशुदा कुल 1524 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 1524 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>14.09.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official